हुक्म कार्यवाही मय इनीशियल अफ़सर

तारीख हुक्म	
25/08/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को कोई समय के तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गयी बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। मौका रिपोर्ट TOOR गुडामालानी के पत्रांक 1204 दि. 24/8/23 प्राप्त हुआ है जो रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। वकील प्रार्थी से बहस सुनी। आदेश/निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

07 / 2023

गण

1. लक्ष्मण कुमार पुत्र पुरखाराम
2. अमराराम पुत्र पुरखाराम
3. कृष्ण कुमार पुत्र रामाराम
4. गजरो पत्नी मांगा
5. गीगा उर्फ बगता पुत्र भूरा
6. प्रभु पुत्र मांगा
7. मोती पुत्र मांगा
8. सांवला पुत्र मांगा
9. हका पुत्र भूरा
10. पुरखाराम पुत्र भूराराम
    जाति कलबी निवासी भाखरपुरा गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अणसी पत्नी खंगाराराम
2. अनु पत्नी वरजांगा
3. जवाना पुत्र वरजांगा जाति कलबी हाल निवासी भेडाना
4. जानू पुत्र गुणेशा
5. नरपत पुत्र खंगारा
6. नवा पुत्र केवदा जाति कलबी हाल निवासी भेडाना
7. भोमा पुत्र गुणेशाराम जाति कलबी हाल निवासी भेडाना
8. मदरूपा पुत्र केवदा
9. मांगा पुत्र वरजांगा
10. मोटा पुत्र केवदा
11. रमेश पुत्र खंगाराराम जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी
12. लीलाराम पुत्र गुणेशाराम जाति कलबी हाल निवासी भेडाणा
13. सांवलाराम पुत्र मुकनाराम जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी
14. मानी पुत्री हेमी पत्नी जवानाराम
    जाति कलबी निवासी मघा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई कृषि विकाश शाखा गुड़ामालानी
16. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए की उपधारा 1
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संशोधन अधिनियम 2010)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25/8/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मघा की ढाणी पटवार क्षेत्र भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 618 क्षेत्रफल 4.4515 हैक्टेयर की आई हुई है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है, सरकारी कटान मार्ग तक विप्रार्थी संख्या 1 से 13 के खसरा नम्बर 556/2 रकबा 4.06799 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 14 व प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 626 रकबा 2.0639 हैक्टेयर में से ही आ जा सकते हैं। इसी रास्ते का उपयोग पीडियों से करते आ रहे हैं। हरबार वारिस में काश्त करने से रास्ता अवरूद्ध हो जाता है तथा विप्रार्थीगण आने जाने में झगड़ा करते हैं। अतः हमारी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 182

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 189 ग्राम आनन्द नगर में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 16 तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक भू.अ. /2023/1204 दिनांक 22.08.2023 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 618 रकबा 4.4516 से सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 556/2 रकबा 0.6799 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 626 रकबा 2.0639 हैक्टेयर में से होकर एकमात्र विकल्प है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। खसरा नम्बर 794/624, 796/627, 792/622, 790/621, 787/620, 786/620 समर्पण भूमि है, खसरा नम्बर 556/2 व 626 में से कमशः 16 x 3 गट्ठा, 83 x 3 गट्ठा रकबा कमशः 0.0194, 0.1004 हैक्टेयर बरंग हरा संलग्न नक्शानुसार रास्ता प्रस्तावित किया है, प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है, किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, निकटतम विकल्प खसरा नम्बर 556/2 व 629 में होने से इन खसरों में से रास्ता दिये जानी की अभिशंषा की है। खसरा नम्बर 626 पर सहायक कलक्टर न्यायालय गुड़ामालानी के प्रकरण संख्या 319/14 में दिनांक 20.10.2014 द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है।

प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपनी रिर्पोट दिनांक 22.08.2023 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''हरा रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 618 ग्राम मघा की ढाणी में आने–जाने हेतु विप्राथीगण व प्रार्थीगण की आराजी ग्राम मघा की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 556/2 व 626 में से कमशः 16 x 3 गट्ठा, 83 x 3 गट्ठा रकबा कमशः 0.0194, 0.1004 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु बरंग ''हरा'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने के आदेश दिया जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी वाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25|8|23 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी